कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)

– : : परिपत्र : : –

कमांक134..... / **रीवा, दिनांक** 15 / 06 / 2026
परिपत्र / 2026

प्रायः यह देखने में आया है कि स्थापना में पदस्थ कुछ शासकीय सेवक पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के आयोजन एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आकस्मिक / ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र वांछित अवकाश दिनांक को या एक दिवस पूर्व अथवा अवकाश उपभोग करने के पश्चात् कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते है। इसी प्रकार अर्जित अवकाश / संतान पालन अवकाश के आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि तीन सप्ताह पूर्व (21 दिवस पूर्व) प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

अतः समुचित प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता हैः–

1. समस्त शासकीय सेवक अर्जित अवकाश / संतान पालन अवकाश आवेदन पत्र तीन सप्ताह पूर्व (21 दिवस पूर्व) कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे निर्धारित समयावधि में अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर (विशेष परिस्थिति को छोड़कर) अवकाश आवेदन पत्र स्वमेव निरस्त किया जावेगा।
2. सभी शासकीय सेवक पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के आयोजन एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र (विशेष परिस्थिति को छोड़कर) 03 दिवस पूर्व तथा ऐच्छिक अवकाश हेतु आवेदन पत्र 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करेंगे। यदि संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा निर्धारित समयावधि में अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस दशा में अवकाश आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।
3. सभी शासकीय सेवक कार्यालयीन समय 10:30 के पूर्व या 10:30 तक अपने–अपने पदीय कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर उक्त दिवस की अनुपस्थिति मान्य की जाकर नियमानुसार अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे, पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

Sd/–
(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0
रीवा, दिनांक 15 / 06 / 2026

कमांक3011..... /
परिपत्र–2026

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, रीवा / मऊगंज / सिरमौर / त्योंथर / हनुमना / मनगंवा की ओर उक्त परिपत्र समस्त शासकीय सेवकों के मध्य परिचालित किए जाने एवं कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु जरिए ईमेल सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किए जाने बावत् प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा, म0प्र0